P-607
12/11/21

क्रम सं., आदेश और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
8.11.2021	न्यायालय :– उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार श्री बंशीधर नगर।	

सीलिंग वाद सं0–31/1982–83

राजेन्द्र कुमार मेहता बनाम् राधा देवी एवं अन्य

आदेश

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया। यह वाद बिहार लैंड सीलिंग एक्ट 1961 की धारा 16(3) के तहत् आवेदक ने ग्राम–बुका, थाना–भवनाथपुर, जिला–पलामू (गढ़वा) के खाता न0–180, प्लॉट न0–1237, रकबा 11½ डी0 भूमि का दावा Right Of Preemption के तहत् तत्कालिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गढ़वा के न्यायालय में दिनांक 24.03.1983 ई0 को दाखिल किया। दिनांक 27.09.1989 ई0 को आवेदक के आवेदन पत्र पर एक पक्षीय सुनवाई कर आवेदक के दावा को स्वीकृत कर लिया गया एवं विपक्षी केता को प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण केवाला में वर्णित शर्तों के अनुसार आवेदक के पक्ष में एक माह के अंदर निबंधित केवाला द्वारा हस्तांतरण करने हेतु आदेश दिया गया। दिनांक 18.06.2008 ई0 को आवेदक ने संबंधित भूमि का हस्तांतरण करने हेतु तत्कालिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गढ़वा के समक्ष आवेदन दिया, जिसे तत्कालिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गढ़वा ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए इस अभिलेख को उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, नगर उंटारी के न्यायालय में भेजने का आदेश पारित किया, जो दिनांक 31.12.2008 ई0 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। दिनांक 31.12.2008 ई0 को मूल विपक्षी केता राधा देवी के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, जिसके वारिसन के संबंध में अंचल अधिकारी, भवनाथपुर से प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, भवनाथपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में 30.01.2010 ई0 को मूल विपक्षी केता राधा देवी के वारिसान को इस वाद में पक्षकार बनाते हुए पूर्व में पारित आदेश के आलोक में केवाला निष्पादन करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना प्राप्ति के पश्चात मूल विपक्षी केता राधा देवी के वारिस दिनांक 15.02.2010 ई0 को इस वाद में उपस्थित हुए एवं 05.05.2010 ई0 को इस वाद में अपना प्रतिउत्तर, लिखित कथन एवं आपत्ति पत्र दाखिल किया। विपक्षीगण का कथन है कि प्रश्नगत आदेश 27.09.1989 ई0 को इस न्यायालय द्वारा पारित हुआ है, जबकि उक्त आदेश का कियान्वयन/इजराय (Execution) हेतु 18.06.2008 ई0 को आवेदक ने आवेदन दिया, जबकि मूल विपक्षी केता की मृत्यु बहुत पहले हीं हो चुकी है। अतः आवेदक का आवेदन आदेश पारित होने के 21 वर्ष पश्चात् इजराय (Execution) हेतु इस न्यायालय के समक्ष दिया गया, जबकि यह वाद मूल विपक्षी केता राधा देवी के मृत्यु के चलते Abate (उपसमित) हो जाता है, साथ हीं 1989 ई0 में पारित आदेश का कियान्वयन 21 वर्ष पश्चात नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रश्नगत वाद Limitation Act की धारा 3, 27, 29 एवं 97 से बाधित है। विपक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 27.09.1989 ई0 को पारित आदेश बिना विपक्षी का सूचना दिए एकतरफा पारित किया गया है, जिसे आवेदक ने जुन 2008 ई0 तक उक्त आदेश को छुपाए रखा, जबकि इस वाद की मूल विपक्षी केता राधा देवी की मृत्यु 1996 ई0 को हीं हो चुकी है एवं राधा देवी के एक पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी थी, एवं राधा देवी के वारिसों को निर्धारित अवधि के भीतर पक्षकार नहीं बनाया गया, साथ हीं मूल विपक्षी केता की भी मृत्यु हो चुकी, उनके वारिसानों को भी इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। विपक्षी का यह भी कथन है कि वर्ष 1989 ई0 में पारित आदेष का कियान्वयन/इजराय (Execution) कराने हेतु वर्ष 2008 में आवेदक ने किस कारण से आवेदन दिया, उसका हवाला अपने आवेदन पत्र में नहीं दिया है, अतः व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेष 21 नियम 34 के तहत् प्रश्नगत आदेश का कियान्वयन नहीं किया जा सकता। विपक्षी के प्रतिउत्तर, लिखित कथन एवं आपत्ति पत्र पर आवेदक ने अपना

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	प्रतिउत्तर दाखिल किया एवं उन्होंने कहा कि जो भी आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उसका अनुपालन कराना न्यायालय का दायित्व है, साथ हीं लिमिटेशन के बारे में जो विपक्षी केता ने प्रश्न उठाया है, वह केवल वाद में पक्षकार बनाने के लिए कियाा जाता है न की आदेश का अनुपालन के लिए, अपने कथन के प्रमाण में आवेदक ने 1984 PLJR Page no 774 में वर्णित एक न्याय निर्देश का हवाला दिया है, जबकि आवेदक के न्याय निर्देश के संबंध में विपक्षी ने Limitation Act की धारा 3, 27, 29, 97 एवं 136 की प्रति दाखिल किया है। आवेदक द्वारा दाखिल Case Law (न्याय निर्देष) Bihar Land Reforms (Fixation Of Area and Acuquisition of Sur-plus land) Act 1961 Section 16(3)_18 Years Deleay in final disposal of Preemption application-Pre-emptor is not responsible for the deleay- in final disposal of application, इस वाद पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह मामला 1989 में पारित आदेश का कियान्वयन/इजराय (Execution) वर्ष 2008 में करने के संबंध में है, न की Preemption की आवेदन के Final Disposal से संबंधित है। प्रश्नगत वाद में दिनांक 27.09.1989 ई० में हीं जो आदेश पारित हुआ है, उसकी चुनौती किसी भी पक्षकार ने किसी वरीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सक्षम न्यायालय में दाखिल नहीं की है, अतः इस वाद में दिनांक 27.09.1989 ई0. को जो आदेश पारित हुआ है, उसका कियान्वयन/इजराय (Execution) लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 97 के तहत् 01 वर्ष के अंदर हीं किया जा सकता था, जबकि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 136 के तहत् किसी भी न्यायालय द्वारा पारित डिकी (Decree) का इजराय (Execution) की अधिकतम समय सीमा 12 वर्ष हीं है, जबकि Right Of Preemption के मामले में समय सीमा मात्र 01 वर्ष हीं है। उक्त तथ्यों के संबंध में सरकारी वकील से कानुनी सलाह मांगी गई है, जिसमें उन्होंने अपना लिखित कानुनी सलाह पत्रांक 27 दिनांक 06.08.2018 ई0 को इस न्यायालय को भेजा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 97 के तहत् आवेदक का आवेदन इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है, अतः वर्ष 1989 ई0 को पारित आदेश का कियान्वयन 17, 18 वर्ष के पश्चात नहीं किया जा सकता है, अतः आवेदक का आवेदन पत्र खारिज योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि वर्ष 27.09.1989 ई0 को पारित Right Of Preemption के आदेश का इजराय (Execution) लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 97 के तहत् एक साल के अंदर हीं किया जा सकता है, जबकि आवेदक ने लगभग 18 वर्ष पश्चात आवेदन पत्र दाखिल किया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः आवेदक द्वारा दिनांक 18.06.2008 ई0 को दाखिल आवेदन पत्र जो 27.09.1989 ई0 को पारित आदेश के कियान्वयन/इजराय (Execution) के संबंध में था, को अस्वीकृत किया जाता है, एवं इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, श्री बंशीधर नगर। 08/11/21 उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, श्री बंशीधर नगर। 08/11/21

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.13 11:46:53 +05:30
Location: 192.168.1.36

Scanned with CamScanner